

जारी प्रेषक 2010
जारी 11/10/10

शिव शंकर सिंह,
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना,
लखनऊ।

समन्वय अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1517/एच/F&A/डास्प/2009, दिनांक 23 सितम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या-948/सम-73-2010, दिनांक 12.04.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आयोजनागत मद में रूपये-2,25,00,000.00 हजार (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के वित्तीय स्वीकृति की महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) यह धनराशि भारत सरकार/विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जायेगी। विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी। जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है उन्हीं मदों पर विश्व बैंक की गार्डइलाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।
- (3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

..2..

- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-
"2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-97-यू0पी0 डाइवर्सिफाइड
एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (फेज-II) (विश्व बैंक पोषित)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।
- 3- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय
संख्या-608-ई-1-दस-2010, दिनांक 13.10.2010 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(शिव शंकर सिंह)

विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,

01/10


संख्या- (1)/सम-73-2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/लेखापरीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. कृषि अनुभाग-3
5. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

30
15/10/10
15/10/10

आज्ञा से,



(लालू)
अनु सचिव
01/10